

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा-282005

भाग-1

पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र

(फार्म भरने के पूर्व भाग-6 में उल्लिखित निर्देश पढ़ लिए जावें)

सेवा में,
निदेशक (उच्च शिक्षा),
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

द्वारा: कुलसचिव, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा-5

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें—

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता
(क) स्थायी निवास का स्थान :
- (ख) पत्र व्यवहार का पता :
4. जन्म तिथि :
5. सेवा प्रारम्भ करने की तिथि :
6. सेवानिवृत्ति की तिथि :
7. सेवानिवृत्ति के समय अंतिम पदनाम :
तथा कार्यालय/विभाग का नाम
एवं पता
8. मृत्यु होने की दशा में नामिती का नाम :
एवं पता जिसे जीवनकालीन
अवशेष का भुगतान किया जावे
9. पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि :
जिसका राशिकरण अपेक्षित है
10. भुगतान किस कोषागार से आहरित :
करना चाहते हैं

11. परिवार का विवरण:

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	कर्मचारी से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

भवदीय / भवदीया

दिनांक

कर्मचारी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन/सेवा आनुतोषिक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाए। मैं भली भाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशि से अधिक पायी जायेंगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होगी। मैं वचन देता/देती हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा/दूँगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांक

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये
(यथासम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहाँ से सेवानिवृत्त हुए)

1.

नाम

हस्ताक्षर

पदनाम

पता
2.

नाम

हस्ताक्षर

पदनाम

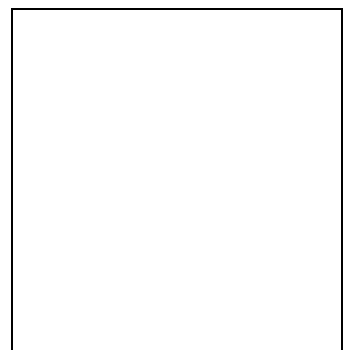
पता

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा-282005

भाग-3

प्रार्थी का विवरण

1. कर्मचारी का नाम :
पदनाम :
तथा कार्यालय का नाम :
2. पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम :
तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध :
3. नमूने के हस्ताक्षर (क) कर्मचारी 1. _____
(उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे) 2. _____
3. _____
(ख) कर्मचारी की पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के 1. _____
(उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों 2. _____
दशाओं में करवाये जायेंगे) 3. _____
4. यदि कर्मचारी या उसकी पत्नी/पति अथवा अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी
अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दायें अथवा बायें अंगूठे
एवं उँगलियों के निशान
5. वैयक्तिक पहचान
(क) कर्मचारी की ऊँचाई :
(ख) कर्मचारी के पहचान चिन्ह :
(ग) पारिवारिक पेंशनर या अन्य प्रार्थी की ऊँचाई :
(घ) पारिवारिक पेंशनर या अन्य प्रार्थी के पहचान चिन्ह :
6. कर्मचारी की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार का संयुक्त
फोटो। मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना
फोटो। फोटो की तीन प्रतियाँ दी जायेंगी जिनमें से दो फार्मस्
पर चिपकाई जायेंगी तथा एक प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन
प्रपत्र के साथ लगा दी जायेगी। प्रदेश के बाहर पेंशन लेने पर
पाँच प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी। जिनमें से चार फार्मस् तथा
पाँचवीं प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से
लगा दी जायेंगी।



सत्यापित

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर _____

तथा पदनाम _____

दिनांक

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा-282005

भाग-4

सेवा का इतिहास

कर्मचारी का नाम _____

क्रमांक	कब से कब तक (केवल दिनांक दी जाए)	पद का नाम जिस पर कार्य किया (स्थान सहित) अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदावनति, प्रतिनियुक्ति, व्यवधान की अवधियाँ भी इंगित की जाये	स्तम्भ-3 में दर्शायी गयी अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेंशनयुक्त नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय
1	2	3	4	5

दिनांक

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पता

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा-282005

भाग-5

(कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु)

- 1. कर्मचारी का नाम :
- 2. कर्मचारी की जन्मतिथि :
- 3. सेवा में आने का दिनांक :
- 4. सेवानिवृत्ति का दिनांक :
- 5. 60 वर्ष की आयु प्राप्ति की तिथि :

6. कुल अवधि (5-3)

- (+) सैन्य सेवा जो पेंशन के लिए अर्ह है की अवधि
अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया
- (-) पेंशन अनर्ह सेवा
- (क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा
- (ख) सेवा में विच्छेद
- (ग) पेंशन के लिए अनर्ह निलंबन की अवधि
- (घ) कोई अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो
(कारण सहित उल्लेख किया जाय)
- (ङ) 60 वर्ष की आयु प्राप्ति के उपरान्त की सेवा अवधि

वर्ष	मास	दिन

- 7. पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि : _____ वर्ष _____ मास _____ दिन या _____ छमाहियाँ
- 8. पेंशन का प्रकार : प्रतिकर/अशक्तता/रिटायरिंग/अधिवर्षता
- 9. सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित वेतन :
- 10. औसत परिलब्धियों का आगणन: :
- अंतिम दस मास में प्राप्त परिलब्धियाँ :

धारित पद	से दिनांक	तक दिनांक	परिलब्धियाँ मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित	अन्य
1	2	3	4	5

योग (स्तंभ-4 का) ÷ 10 = ₹0

(2)

11. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन :
12. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन :
कटौती (यदि कोई हो)
13. शुद्ध सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि :
14. पारिवारिक पेंशन का आगणन :
(क) सामान्य दर
(ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरांत मृत्यु की दशा में दिनांक _____ से _____ तक
रु0 _____ प्रतिमाह (बढ़ी हुई दर) तथा दिनांक _____ से रु0 _____ प्रतिमाह (सामान्य दर)
15. पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक :
16. पेंशन की धनराशि :
17. राशिकृत मूल्य का आगणन :
18. राशिकरण के उपरांत पेंशन की धनराशि रु0 :
19. कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन/सेवानिवृत्ति अथवा :
मृत्यु ग्रेच्युटी/राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे
20. अनंतिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन :
(यदि कोई स्वीकृत की गयी हो)
21. अनंतिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी :
(यदि कोई स्वीकृत की गयी हो)
22. पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक _____ (अर्ह तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक
 - (1) भवन निर्माण में से रु0 _____ की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
 - (2) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु0 _____ की धनराशि शेष है/ कोई धनराशि शेष नहीं है।
 - (3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु0 _____ की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
 - (4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक _____ रु0 _____ धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/ कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक _____ तक रु0 _____ और देना शेष रह गया है।
 - (5) आडिट के परिणामस्वरूप रु0 _____ की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
 - (6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाई के परिणाम स्वरूप रु0 _____ की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
 - (7) अन्य मदों में (मद) स्पष्ट की जाय रु0 _____ की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
 - (8) श्री _____ (कर्मचारी का नाम) के विरुद्ध कोई न्यायिक/विभागीय अथवा प्रशासनाधिकरण जाँच लम्बित नहीं है/है।

यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाई गई हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गंभीर दुराचरण के लिए दोषी हो तो उसका विवरण दिया जाय।

दिनांक:

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
तथा पद नाम

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा-282005

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के दायें/बायें अंगूठे एवं उँगलियों के निशान

- 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम :
- 2. पद का नाम :
- 3. दायें/बायें हाथ के अंगूठे/ उँगलियों के निशान**

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

प्रमाणित

**पुरुषों की दशा में बायें अँगूठे एवं उँगलियों के निशान तथा महिलाओं की दशा में दायें अँगूठे एवं उँगलियों के निशान

कुलसचिव

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा-282005

पति-पत्नी का संयुक्त अथवा स्वयं का छायाचित्र

- 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम :
- 2. पद का नाम :
- 3. छाया चित्र *

प्रमाणित

कुलसचिव

* पेंशनर्स पति-पत्नी का संयुक्त छायाचित्र लगायें। अविवाहित विधुर अथवा विधवा की दशा में केवल स्वयं का छायाचित्र लगायें।

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा-282005

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पहचान चिन्ह

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम :
2. पद का नाम :
3. पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर के पहचान चिन्ह :

(1) _____

(2) _____

प्रमाणित

कुलसचिव

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा-282005

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर का नमूना

1. पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर का नाम:
2. पद का नाम:
3. पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर का नमूना :

(1) _____

(2) _____

प्रमाणित

कुलसचिव

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
दयालबाग, आगरा-282005

पत्रांक : ई0 टी0 पी0 /

दिनांक :

अनादेय तथा पेंशन भुगतान न किये जाने का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ० / श्री / श्रीमती / सुश्री
..... जो दिनांक अपराहन् को
इस संस्थान से की हैसियत से
सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के विरुद्ध इस संस्थान का कुछ भी बकाया नहीं है। यह भी प्रमाणित
किया जाता है उक्त सेवानिवृत्तोन्मुख / सेवानिवृत्त कर्मचारी को संस्थान ने पेंशन तथा अन्य
सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान नहीं किया है। अतः सेवानिवृत्तोन्मुख / सेवानिवृत्त कर्मचारी
को नियमानुसार देय पेंशन की धनराशि को आगरा कोषागार के माध्यम से भुगतान कराये
जाने की संस्तुति की जाती है।

कुलसचिव